

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

डॉ. सूरज सिंह नेगी

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

61/2023/प्रा.पत्र/2023

26.06.2023

तारीख निर्णय

22.09.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

- 1-श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन निवासी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक
- 2-मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक
- 3-श्री टीकमचन्द जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन निवासी वार्ड नं.19 गुर्जरवाडा, भट्टा कॉलोनी केकडी जिला अजमेर प्रोपरायटर मैसर्स महेन्द्रा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स एफ-50-51 रीको इण्ड. एरिया जयपुर रोड केकडी जिला अजमेर
- 4-मैसर्स महेन्द्रा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स एफ-50-51 रीको इण्ड. एरिया जयपुर रोड केकडी जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थीगण की ओर से श्री सिद्धार्थ जैन उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 22.09.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.12.2022 को समय 02:00 पीएम पर मैसर्स सिद्धार्थ ट्रेडर्स सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सिद्धार्थ जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान के गोदा में 15-15 किलोग्राम पैक के लगभग 45 टिन मूल पैक पैकड अवस्था में मूंगफली तेल (अंई श्री ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सिद्धार्थ जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सिद्धार्थ जैन



2068

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मूंगफली तेल (अर्ह श्री ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मूंगफली तेल (अर्ह श्री ब्राण्ड) 1600 ग्राम को अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक शीशी में 400-400 ग्राम भरकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3350, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3350 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सिद्धार्थ जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स महेन्द्रा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग मिल्स एफ-50-51 रीको इण्ड. एरिया जयपुर रोड केकडी जिला अजमेर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/4001 दिनांक 19.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3443/एक्ट/2022/3488 दिनांक 14.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया मूंगफली तेल (अर्ह श्री ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी श्री सिद्धार्थ जैन उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। मात्र इसके लेबल पर आवश्यक



जानकारियां अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस मूंगफली तेल (अंह श्री ब्राण्ड) विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया मूंगफली तेल (अंह श्री ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.09.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सुरज सिंह मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0